बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

(Subject: Online filing of Enterpreneur Memorandum)

सं0 सं0– 2/उ0नि0 (निबंधन)–01–04/2014–5149– उद्यमी ज्ञापन हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने एवं ऑनलाईन उद्यमी ज्ञापन निर्गत करने की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम किकास अधिनियम 2006 की धारा 8 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्यमी ज्ञापन (Enterpreneur Memorandum) निर्गत करने हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी उद्योग विभागीय अधिसूचना संख्या 4801 दिनांक 12.12.2006 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:–

I. कंडिका 1 (ii) में "औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा लैण्ड बैंक योजना के अंतर्गत के क्षेत्र के लिए प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना प्राधिकार" को विलोपित किया जाता है एवं उसके स्थान पर "सभी मामले में संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र" को प्रतिस्थापित किया जाता है।

II. कंडिका 1 (ii) के बाद एक नई उप–कंडिका (iii) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(iii) ईकाई के पक्ष में Online उद्यमी ज्ञापन– I/ II निर्गत करने से पूर्व स्थल निरीक्षण करने या किसी कागजात की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी ज्ञापन निर्गत करने के तीन माह के अंदर संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को स्थल निरीक्षण कर लेना है। यदि उद्यमी द्वारा Online आवेदन में दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो उद्यमी से कारण पृच्छा पूछते हुए महाप्रबंधक सकारण आदेश निर्गत कर उक्त ईकाई के उद्यमी ज्ञापन– II को निरस्त कर सकते हैं और इसकी सूचना कारण सहित उद्यमी को दे सकते हैं।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार
पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/(उद्यमी ज्ञापन)–01–04/2014/5149 पटना, दिनांक 19.12.14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार
पटना।

क्रमशः पृष्ठ–2

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/(उद्यमी ज्ञापन)–01–04/2014/ 5149 पटना, दिनांक 19-12-14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित् ।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/(उद्यमी ज्ञापन)–01–04/2014/ 5149 पटना, दिनांक 19-12-14

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/ वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/ निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना प्राधिकार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना/ समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान शाखा, गाँधी मैदान (पश्चिमी), पटना/ अध्यक्ष, बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स/ अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार
पटना।